

प्रकरण क्रमांक

/2016 निगरानी

निग-1853-08216

रामचन्द्र पिता रामसुख, जाति धाकड़

निवासी-गोपालमार्ग, बड़नगर रोड़ खाचरौद

आवेदक

—विरुद्ध—

1- राजेश पिता भैरूलालजी धाकड़,

2- प्रकाशचन्द्र पितामोहनलालजी धाकड़

3- शान्तिबाई पिता रामसुख, जाति धाकड़

समस्त निवासीगण-गोपालमार्ग, बड़नगर रोड़ खाचरौद

अनावेदकगण


श्री निदेशा चारु आदि

द्वारा उच्च न्यायालय पर

31-5-16 को प्रस्तुत



31-5-16


31.5.16

पुनर्निरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खाचरौद के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30/03/16 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।



राजस्व/राजस्व मंडल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
R-1853-PBA/16

प्रकरण क्रमांक
स्थान तथा दिनांक

निगरानी

पीबीआर/16


जिला उज्जैन


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

7-6-2016

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-3-2016 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है, इसलिए प्रकरण में कार्यवाही रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है । व्यवहार न्यायालय के आदेश के पश्चात उसका पालन कराया जा सकता है, इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय द्वारा उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही नहीं रोकने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




(मनोज गायल)
अध्यक्ष